आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :सदर
वाद संख्या :-00008/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201901500100008
मानव शिक्षा प्रसार समिति ओल मथुरा दवारा सचिव लेखराज सिन्ह बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रार्थी मानव शिक्षा प्रचार समिति, ओल मथुरा द्वारा सचिव श्री लेखराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री निनुआ निवासी गढी रामवल तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक–4.9.2018 में अंकित किया गया है कि वे मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–725 खसरा संख्या 2364 रकबा 0.895हे. भूराजस्व 8.15 रुपए के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है, को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी द्वारा अपना शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर जॉचोपरान्त तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तुत संस्तुति आख्या दिनांक–6.12.2018 में अंकित किया गया है कि मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–725 खसरा संख्या 2364 रकबा 0.895हे. भूराजस्व 8.15 रुपए के मानव शिक्षा प्रचार समिति, ओल मथुरा द्वारा सचिव श्री लेखराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री निनुआ निवासी गढी रामवल तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन कुक्कुटपालन व पशुपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। भूमि मौके पर खाली है तथा चारदीवारी बनी हुई है। प्रश्नगत भूमि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद एवं किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कराए गए निर्माण का फोटोग्राफ व नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई हैं।

वाद दर्ज कर क्षेत्रीय लेखपाल श्री खचेरसिंह का सशपथ बयान दिनांक–19.12.2018 को दर्ज किया गया। तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक–6.12.2018 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर महोदय द्वारा कृषि भूमि हेतु निर्धारित सर्किल दर से मालियत 40,27,500/–हैं, जिसकी दो प्रतिशत धनराशि 80550/– अस्सी हजार पॉच सौ पचास रुपए) भारतीय स्टेट बैंक, मथुरा में चालान संख्या 0700/01/LSB 1549 दिनांक– 19.12.2018 व चालान संख्या 0700/01/LS 1549 दिनांक–28.12.2018 को जमा की गई है।

अतः तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक–6.12.2018 के आधार पर मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–725 खसरा संख्या 2364 रकबा 0.895हे. भूराजस्व 8.15 रुपए को निम्नवत् अकृषिक घोषित/प्रख्यापित किया जाता है:–

ग्राम का नाम	खातेदार का नाम वल्दियत व पता	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	भूराजस्व (रुपयों में)	अकृषिक उपयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण			प्रयोजन /विशेष विवरण
						खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूराजस्व	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Scanned by CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :सदर
वाद संख्या :-00008/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201901500100008
मानव शिक्षा प्रसार समिति ओल मथुरा द्वारा सचिव लेखराज सिन्ह बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ओल तहसील व जिला मथुरा	मानव शिक्षा प्रचार समिति, ओल मथुरा द्वारा सचिव श्री लेखराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री निनुआ निवासी गढी रामबल तहसील व जिला मथुरा	725	2304	0.095	0.15	2304	0.095	0.15	अकृषिक घोषित
	योग	1	1	0.095हे.	0.15	1	0.095हे.	0.15	

यह भूमि फसली 1426 से भूराजस्व से मुक्त होगी तथा भूमिधर न्यागमन के विषय में उस व्यैक्तिक विधि से नियंत्रित होगा, जिसके वह अधीन है। तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्या आदेश का अंग होगी। विपरीत तथ्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

03/01/19
(कान्ति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक–

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा/उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रेषित।

(कान्ति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा
03/01/19

दिनांक–

Scanned by CamScanner